

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

प्रेषित,

1. डॉ० धर्मेन्द्र कुमार, फिजियोलौजी विभाग
2. डॉ० प्रज्ञा सुमन, पैथोलौजी विभाग
3. डॉ० सोनी प्रियंका, पी०एस०एम० विभाग
4. डॉ० यशवंत कुमार चॉद, मेडिसीन विभाग
5. डॉ० फैयाज रशीद अरशी, मेडिसीन विभाग
6. डॉ० प्रवीण कुमार, पैथोलौजी विभाग (MD/MS Examination, 2020 (Second) में उत्तीर्ण

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर ।

मुज० दिनांक:-

विषय: MD/MS Examination, 2020 में उत्तीर्ण पी०जी० छात्र/छात्राओं को
Online Form भरने के संबंध में ।

प्रसंग: स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक-298 (17) दिनांक-08.03.2021
महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयक MD/MS Examination, 2020 में इस
चिकित्सा महाविद्यालय के उत्तीर्ण पी०जी० छात्र/छात्राओं (जो वर्तमान में विभिन्न
चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में कार्यरत हैं) को निर्देश दिया जाता है कि
स्वास्थ्य विभागीय निदेशानुसार आप सभी अपना - अपना Online Form
अनिवार्य रूप से ससमय भरना सुनिश्चित किया जाए तथा उसकी सूचना
अधोहस्ताक्षरी को भी देने का कष्ट किया जाए ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन
8/3/21

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक:- 423/21

दिनांक:- 08/03/21

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
2. श्री कौशल किशोर, सरकार के अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार,
पटना को उनके पत्रांक-298 (17) दिनांक-08.03.2021 के आलोक में
सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कॉलेज वेबसाईट ।

8/3/21

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

सं० सं०-17/ए 3-01/2021 - 2.98 (17)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

कौशल किशोर
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य/अधीक्षक,
सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल।
सभी सिविल सर्जन, बिहार।
अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना सिटी, पटना।
निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना।
अधीक्षक, न्यू गार्डिनर रोड, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, पटना।
निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना।

पटना, दिनांक :- 8 / 3 / 2021

विषय :- राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों से वर्ष 2020 में पी0जी0/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को तीन वर्षों के अनिवार्य सेवा (Bond) हेतु Online Form भरने हेतु निदेशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर समादेश याचिका संख्या-8269/2020 डा0 शंकर भारती एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-21.01.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों से पी0जी0/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को राज्य में तीन वर्षीय अनिवार्य सेवा (Bond) दिये जाने के निमित्त, स्वास्थ्य विभागीय वेबसाइट पर विहित प्रपत्र में दिनांक-03.03.2021 से दिनांक-10.03.2021 तक Online Form भरने का विज्ञापन प्रकाशित है।

अतः अनुरोध है कि राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से वर्ष 2020 में उत्तीर्ण पी0जी0/डिप्लोमा छात्र जिनका पदस्थापन राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में किया गया था, को अपने स्तर से Online Form अनिवार्य रूप से भरने हेतु अपने-अपने संस्थान में कार्यरत चिकित्सक/चिकित्सक शिक्षकों को निदेशित करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

06/3/21
(कौशल किशोर)

सरकार के अपर सचिव।

42